बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0
खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2,

पत्रांक– 2:05:40:1:2017 . 9799   दिनांक– 20/09/17

प्रेषक

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रबन्धक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम।

विषयः–**परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन–सह–आपूर्त्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के चयन एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक– 10367 दिनांक–17–08–2016 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1682 दिनांक– 01–03–2016 एवं 7806 दिनांक– 30–09–2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत हैं कि भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदामों में परिवहन हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) के चयन एवं नियुक्ति एवं राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकान तक परिवहन हेतु परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (DSD) को कार्यालय पत्रांक– 10367 दिनांक– 17.08.2016 द्वारा उपरोक्त दोनो श्रेणियों के परिवहन सह हथालन अभिकर्त्ता के चयन एवं नियुक्ति हेतु निविदा का निष्पादन जिला परिवहन समिति द्वारा करने का निर्देश दिया गया है। विगत दिनों में यह बात प्रकाश में आयी है कि निविदा के निष्पादन में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2016 के प्रावधानों एवं निर्धारित न्यूनतम दर (L1)के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कतिपय मामलों में गैर समानुपातिक दर पर कार्य आवंटन के संबंध में महालेखाकर द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गयी है एवं वित्तीय नियमावली 2016 के अक्षरशः अनुपालन नहीं करने के कारण, कई मामलों में परिवाद पत्र प्राप्त हो रहें हैं एवं कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालय में जाने के कारण परिवहन आभिकर्त्ता का चयन बाधित हो रहा है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण पर पड़ता है। बिहार वित्त (संशोधन) नियामावली 2016 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

''क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी। अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।''

इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला परिवहन समिति द्वारा तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरान्त ही वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जाना है, लेकिन कई मामलों में वित्तीय बोली के मूल्यांकन की समीक्षा के क्रम में तकनीकी बोली के

..............2.

मूल्यांकन के निर्णय पर आपत्ति दर्ज करते हुए उसके वित्तीय बोली का मूल्यांकन नहीं किया जाता है और निविदा से बाहर कर दिया जाता है, एवं कार्य आवंटित नहीं किया जाता है, जो उपरोक्त प्रावधानों के प्रतिकूल है।

2. कई जिलों मे निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यकता से कम परिवहन आभिकर्त्ता की नियुक्ति की जाती है जिसका सीधा असर खाद्यान्न उठाव एवं वितरण पर पड़ता है तथा फूड कैलेन्डर को लागू करने में कठिनाई होती है। कई मामले ऐसे भी पाये गये हैं कि निविदा के समय निर्धारित एकरारनामा के विरूद्ध परिवहन–सह–हथालन आभिकर्त्ता मुख्य एवं डोर स्टेप डिलिवरी के एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पूर्व विधिवत निविदा का निष्पादन नहीं कर, उनसे बिना अवधि विस्तार के (दिनानुदिन) रूप से परिवहन अभिकर्त्ताओं से कार्य कराया जाता है, जिससे नये एवं प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त नहीं होते हैं एवं निगम को अधिक राशि का परिवहन मद में व्यय करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि 'जिला परिवहन समिति' द्वारा निविदा के निष्पादन के समय बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2016, के प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित की जाय, ताकि निविदा निष्पादन में पारदर्शिता के साथ अनावश्यक विवाद उत्पन नहीं हो। गैर समानुपातिक दर के विरूद्ध तथा एकल निविदा मामले में वित्तीय बोली के मुल्यांकन हेतु एकल निविदा शेष रहने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।

कृपया उपरोक्त निदेशों का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/9/2017

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–9799 / पटना, दिनांक– 20/09/17

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी उप निदेश, खाद्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2017

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–9799 / पटना, दिनांक– 20/09/17

प्रतिलिपि– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2017

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–9799 / पटना, दिनांक– 20/09/17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/9/2017

प्रबंध निदेशक।

360

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0ब्लॉक रोड नं0-2 पटना-01

पत्रांकः-02:05:406:01:2016- 10367 परिवहन/पटना, दिनांक- 17/8/16

प्रेषक,

गंगा कुमार,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः- परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) की नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंगः- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 4676, दिनांक 01.08.2016 एवं ज्ञापांक 4832, दिनांक 05.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में राज्य खाद्य निगम के अधीन खाद्यान्नों के परिवहन हेतु **''परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य)''** एवं **''परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्त्ता (डोर स्टेप डिलेवरी)''** की नियुक्ति के लिए निविदा के माध्यम से जिला परिवहन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के पश्चात निगम मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा अब तक अनुमोदन दिया जाता रहा है।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान दिये गये निदेश (ज्ञापांक 4676, दिनांक 05.08.2016) के आलोक में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 4832, दिनांक 05.08.2016 (01.08.2016 को सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेसिंग की कार्यवाही) द्वारा यह निदेश दिया गया है कि-

''मुख्य सचिव द्वारा सम्पन्न दिनांक 18.07.16 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान दिये गये निदेश के आलोक में प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम सभी जिला पदाधिकारी को आदेश निर्गत करेंगे कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर परिवहन अभिकर्त्ता की नियुक्ति जिला द्वारा की जायेगी''

उक्त निदेश के आलोक में निदेश है कि परिवहन-सह-हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य)'' एवं ''परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्त्ता (डोर स्टेप डिलेवरी)'' की नियुक्ति अब पत्र निर्गत की तिथि से सभी जिलों में **''जिला परिवहन समिति''** द्वारा की जायेगी। अतः परिवहन अभिकर्त्ता की नियुक्ति से संबंधित जिला परिवहन समिति की अनुशंसा अनुमोदन हेतु अब निगम मुख्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है।

जिला पदाधिकारियों द्वारा परिवहन अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति के क्रम में यदि किसी प्रकार का विवाद या परिवाद पत्र प्राप्त होता है तो इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा तथा यह निर्णय सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होगा।

विश्वासभाजन,
(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक।

17/8/16

ज्ञापांक-10367 परिवहन/पटना दिनांक- 17/8/16
प्रतिलिपिः- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक।

17/8/16

ज्ञापांक-10367 परिवहन/पटना दिनांक-17/8/16
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक।

17/8/16

ज्ञापांक-10367 परिवहन/पटना दिनांक- 17/08/16
प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा कुमार)
प्रबंध निदेशक।

17/8/16

TPDS & Transport: 264

'उप-प्रमुख परिवहन"

13

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक- 30.9.16

सं०-एम-4-12/2015...7806...../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131ञ के उपनियम-(ग) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1682/वि०, दिनांक 01.03.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ञ के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह ''एक मात्र निविदा शेष हो'' के स्थान पर ''एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो'' प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्नुसार प्रावधान निम्न होंगेः-

''क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-12/2015.....7806...../वि०   पटना, दिनांक 30.9.16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लै० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-12/2015.....7806...../वि०   पटना, दिनांक 30.9.16

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः-एम-4-12/2015.....7806...../वि०   पटना, दिनांक 30.9.16

प्रतिलिपिः- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

Gautam\Sec-4\S.No.-34

12

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक- 1/3/16

सं०-एम-4-12/2015 ....1682—..../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ञ के उपनियम-(ख) के बाद निम्नलिखित उपनियम-(ग) एवं (घ) जोड़े जायेंगे :-

"(ग) क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी। अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।

(घ) समान संशोधन बिहार लोक निर्माण संहिता में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015.........1682—................/वि० **पटना, दिनांक**. 1/3/16....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015.......1682—......./वि० **पटना, दिनांक**. 1/3/16.....

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015...1682—........./वि० **पटना, दिनांक**. 1/3/16.....

प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)